**राजस्थान सरकार**
**कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग**

क्रमांक प. 2(2)(93)का./क–3/शि./18 जयपुर, दिनांक : 14/11/2018

**आदेश**

डॉ. परमेश्वर लाल सैनी, तत्कालीन बी.सी.एम.ओ, राजकीय चिकित्सालय, चिड़ावा, झुन्झुनुं को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 22.10.18 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने प्रकरण सं. 300/2018 दर्ज किया गया।

अतः राज्य सरकार, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए को डॉ. परमेश्वर लाल सैनी को दिनांक 22.10.18 से निलम्बित (Deemed to have been suspended) करती है।

डॉ. परमेश्वर लाल सैनी, तत्कालीन बी.सी.एम.ओ, राजकीय चिकित्सालय, चिड़ावा, झुन्झुनुं का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर, के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर को डॉ. परमेश्वर लाल सैनी, बी. सी.एम.ओ, राजकीय चिकित्सालय, चिड़ावा, झुन्झुनुं के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ0 परमेश्वर लाल सैनी को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद सात दिवस में इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें ।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ. परमेश्वर लाल सैनी, बी.सी.एम.ओ, राजकीय चिकित्सालय, चिड़ावा, झुन्झुनुं को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के बिना नही छोडें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन के अवकाश पर रहते के बराबर उन्हें निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
6. डॉ. परमेश्वर लाल सैनी,तत्कालीन बी.सी.एम.ओ, राजकीय चिकित्सालय, चिड़ावा, झुन्झुनुं को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोडें।
7. कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग
8. कोषाधिकारी, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(एन.एल.राव)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– सीबी/सीएएस/पी–263/2019/76 दिनांक : 9/1/19

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प.2(2)(93)का/क–3/शिका./2018 दिनांक 14.12.2018 के क्रम में।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांकः पं.8(1)चिस्वा/2/18 दिनांक 02.01.2019 के क्रम में।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, चिड़ावा, झुन्झुनू को भेजकर लेख है कि डॉ0 सैनी को कार्मिक विभाग के उक्त आदेश तामिल करवा कर तामील रसीद भिजवाते हुये निलम्बित चिकित्सक को निलम्बित काल में मुख्यालय जयपुर में उपस्थिति हेतु चिकित्सक को निर्देशित करें।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
6. अति0 प्रशासनिक अधिकारी, पी–सीट/एटी अनुभाग, राजपत्रित मुख्यालय।
7. डॉ0 परमेश्वर लाल सैनी, तत्का. बीसीएमओ, राजकीय चिकित्सालय, चिड़ावा, झुन्झुनू हाल निलम्बित, मुख्यालय।
8. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को उक्तानुसार सभी संबंधित अधिकारियो की मेल–आई0डी0 पर तथा विभागीय बेवसाईट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।